# न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 13/2025 G.C.M.S. No. 2025/188 दर्ज दिनांक : 05.03.2025

अपीलार्थिगण:

1. चेतराम पुत्र लालूराम, उम्र 82 वर्ष
2. पेमाराम पुत्र लालूराम, उम्र 73 वर्ष
3. मदनलाल पुत्र लालूराम, उम्र 55 वर्ष
4. नारायणलाल पुत्र लक्ष्मण, उम्र 50 वर्ष, जातियान पालीवाल ब्राह्मण, निवासीगण खामल, तहसील सोजत व जिला पाली।

## बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. कालूराम पुत्र घासीराम, जाति पालीवाल, ब्राह्मण, निवासी पालीवालों का बास, खामल, तहसील सोजत व जिला पाली।
2. भीकीदेवी पत्नि लक्ष्मण
3. अणची देवी पुत्री लक्ष्मण पत्नि राधाकिशन जाति पालीवाल ब्राह्मण, निवासी पालीवालों का बास, खामल, तहसील सोजत व जिला पाली।
4. धापू पुत्री लक्ष्मण पत्नि सुरेश जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी पालीवालों का बास, खामल, तहसील सोजत व जिला पाली।
5. लीलादेवी पुत्री लक्ष्मण पत्नि प्रेम
6. डाउ देवी पुत्री लक्ष्मण पत्नि खेम जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी पालीवालों का बास, काकेलाव तहसील व जिला जोधपुर, राजस्थान।
7. ढगलाराम पुत्र पुखराज
8. अशोक पुत्र पुखराज
9. गंगाराम पुत्र पुखराज
10. नारायण पुत्र पुखराज जातियान पालीवाल निवासी पालीवालों का बास, खामल, तहसील सोजत व जिला पाली।
11. मोहनीदेवी पत्नि लूणाराम पुत्री पुखराज जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी काकेलाव तहसील लूणी जिला जोधपुर।
12. लीलादेवी पत्नि नंदलाल पुत्री पुखराज जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी काकेलाव तहसील लूणी व जिला जोधपुर।
13. केसी देवी पत्नि पुखराज जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी खामल, तहसील सोजत, जिला पाली।

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 358/2018 बअनवान कालूराम बनाम मृत लक्ष्मण के वारिसान पन्नालाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025**

**पैरोकार:–**

1. श्री महेन्द्र चौधरी, श्री नीलम सोनी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

## निर्णय

दिनांकः 19.09.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 358/2018 बअनवान कालूराम बनाम मृत लक्ष्मण के वारिसान पन्नालाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट्स व रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 13 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर स्वयं की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 352 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 360 व 361 में से होकर नया रास्ता कायम करवाने हेतु अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जोकि विधिविरूद्ध है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट की कृषि भूमि के खसरा नम्बरान का पूर्ण अवलोकन किये बिना एवं पटवारी हल्का से पूर्ण रिपोर्ट तलब किये बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने अपने प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी कृषि भूमि के खसरा संख्या 352 बताया गया है। जबकि प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट के खसरा संख्या 352 नहीं होकर खसरा संख्या 352/1246 है। जिसका कोई संशोधन नहीं किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बगैर खसरा संख्या 352 में आवागमन हेतु रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किया गया है। जबकि राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 352 दर्ज सुदा है। इसके साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा एवं लिखित बहस का अवलोकन किए बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोंडेन्ट खसरा संख्या 01 ने अपने प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी कृषि भूमि के खसरा संख्या 352 होना बताया गया है। जबकि प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट के खसरा संख्या 352 नहीं हैं। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के खसरा नंबर 352/1246 है। मुख्य सड़क खसरा संख्या 377 है, जो स्टेट हाईवे SH- NH- 61 है। उक्त स्टेट हाईवे से रेस्पोंडेन्ट के खसरा संख्या 352/1246 में पहुंच का निकटतम रास्ता खसरा संख्या 351 में से होकर है। जिसका अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अवलोकन नहीं किया गया है। जबकि पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में पेश की गई हैं। जिसमें नजरी नक्शा में मार्क A-B दूरी 138 मीटर व B-C की दूरी 20 मीटर बताया है। जो खसरा संख्या 351 में से होकर दर्शित किया गया है। जिसको रेस्पोंडेन्ट के खेत खसरा नंबर 352/1246 मे आवागमन का निकटतम रास्ता बताया गया है तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता खसरा संख्या 361/3 व 360 में से होकर की दूरी 162

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

मीटर बताया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251–क के प्रावधानों के अनुरूप प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट के खेत में पहुंच के लिए निकटतम दूरी के रास्ते से ही नया रास्ता दिया जाना आज्ञापक है। तथा यदि विकल्पेन कोई रास्ता है तो नया रास्ता की मांग नहीं कर सकता है। इस प्रकरण में अपीलान्ट के जोत की कृषि भूमि में पहुंच के लिए निकटतम रास्ता खसरा संख्या 351 में से ही होकर है, जो तथ्य पत्रावली पर मौजूद होने एवं अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस में उल्लेख करने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 24.12.2021 को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि अपीलान्ट द्वारा उक्त रिपोर्ट पर आपति जाहिर की गई थीं तथा दूसरी रिपोर्ट निकटतम दूरी के सम्बंध में मंगवाने का निवेदन किया गया था। पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई हैं, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा कोई अपने हस्ताक्षर नहीं किये हैं। लेकिन मौका रिपोर्ट बनाकर पेश की गई हैं, जो पत्रावली पर मौजूद है। जिसमें खसरा संख्या 361/3 में दूरी 138 मीटर एवं खसरा संख्या 360 में दूरी 24 मीटर बताई गई हैं तथा खसरा संख्या 351 में दूरी A से B 138 मीटर एवं B से C दूरी 20 मीटर बताई गई हैं। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोंडेन्ट के खेत में पहुंच का निकटतम रास्ता दूरी 158 मीटर खसरा संख्या 351 में से होकर ही हैं। जिसको अधिनस्थ न्यायालय के नजरअन्दाज किया गया है। पूर्व में दिनांक 24.12.2021 को पेश की गई रिपोर्ट में दूरी 128 मीटर, खसरा संख्या 361/3 में व खसरा संख्या 360 में 32 मीटर बताई गई है। जिसमें भी भिन्ता है। उक्त तथ्यों को देखे बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक भूल की गई हैं। इसके साथ ही पत्रावली पर पटवारी हल्का की उक्त दोनों रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नाप के अनुसार राशि की गणना भी गलत की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश में वर्णित किये गये सभी अप्रार्थीगण के नाम राशि जारी करने का भी उल्लेख निर्णय में नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के अनुरूप पारित नहीं किया गया है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के खसरा संख्या 352 नहीं होकर खसरा संख्या 352/1246 है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के खसरा संख्या 352/1246 में पहुंच के लिए निकटतम रास्ता खसरा संख्या 377 से खसरा संख्या 351 में से होकर ही हैं। जिसकी दूरी 158 मीटर ही हैं। अपीलन्ट के खेत से होकर दूरी 162 मीटर है। रेवेन्यू नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 377 स्टेट हाईवे से खसरा संख्या 351 में से होकर सीधा रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

खसरा संख्या 352/1246 तक दिया जा सकता है। जो ज्यादा सुविधा जनक एवं बिना मोड़ के बनता है, उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के खसरा संख्या 361/3 व 360 में से होकर नया रास्ता देने का आदेश प्रदान किया गया है। जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 का खसरा संख्या 361/3 का रकबा भी कम है, जबकि खसरा संख्या 351 का रकबा बड़ा है। खसरा संख्या 361/3 में से होकर रास्ता देने से अपीलान्ट को अधिक नुकसान हो रहा है। जो न्याय नियम के अनुसार उक्त आदेश कतई प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश को अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 352 में पहुंच हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 13.02.2025 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए खसरा संख्या 360 व 361/3 में से रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई हैं।
2. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि प्रार्थी रेस्पोंडेंट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी आराजी का खसरा संख्या 352 होना अंकित किया है। जबकि खसरा संख्या 352/1246 है। मुख्य सड़क खसरा संख्या 377 स्टेट हाईवे 61 है। जिससे रेस्पोंडेंट की खसरा संख्या 352/1246 में पहुंच हेतु निकटतम रास्ता खसरा संख्या 351 में से होकर है। जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवलोकन नहीं किया गया। खसरा संख्या 351 में से 158 मीटर दूरी है, जबकि खसरा संख्या 361/3 व 360 में से होकर दूरी 162 मीटर है। अतः खसरा संख्या 351 में से निकटतम दूरी का विकल्प होने के बावजूद अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट की आराजी में से रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो काबिल अपास्त है।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल खसरा संख्या 352 से बना खसरा संख्या 352/1246 रेस्पोंडेंट संख्या 1 की खातेदारी आराजी है। जिस तक पहुंच के लिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इससे लगते खसरा संख्या 361/3 व 360 में से अपीलाधीन आदेश द्वारा रास्ता स्वीकृत किया गया है। अपीलांट खसरा संख्या 361/3 के सहखातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

है तथा रेस्पोंडेंट संख्या 13 भी सहखातेदार है। रेस्पोंडेंट संख्या 13 द्वारा अपील नहीं की गई हैं। इसी प्रकार खसरा संख्या 360 के खातेदारान द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई हैं। अपीलाधीन आदेश द्वारा खसरा संख्या 360 की आराजी में से 32 मीटर लंबा 4 मीटर चौडा रास्ता स्वीकृत किया गया है तथा अपीलांट की आराजीयात खसरा संख्या 361/3 में से 128 मीटर लंबा व 4 मीटर चौडा रास्ता स्वीकृत किया गया है। चूंकि खसरा संख्या 360 के सहखातेदारान द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध कोई अपील/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं कि खसरा संख्या 351 में से निकटतम दूरी का विकल्प उपलब्ध हों।

4. प्रकरण में जांच प्रतिवेदन संबंधित भू.अ.नि. द्वारा तैयार किया गया है। जो धारा 251–क के प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी है।

5. अतः अपीलांट द्वारा लिए गए उज्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होती हैं। लिहाजा, अपील अपीलांट खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

## आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 358/2018 बअनवान कालूराम बनाम मृत लक्ष्मण के वारिसान पन्नालाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **19.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner